प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–4515001010800–24

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद–रामपुर, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बस्ती, अमरोहा, संतकबीर नगर, बलरामपुर, पीलीभीत, सम्भल, सिद्धार्थनगर, बरेली, मथुरा, देवरिया, गाजीपुर, गौतमबुद्ध नगर, गोण्डा, फैजाबाद, बदायूँ, बुलन्द शहर, इलाहाबाद, कन्नौज, बागपत, जौनपुर, फिरोजाबाद, हापुड़, बलिया, मऊ, चन्दौली, सुल्तानपुर, अलीगढ़, एटा, संत रविदास नगर, कासगंज, गाजियाबाद, मैनपुरी, सोनभद्र, बहराइच, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, आगरा, बिजनौर, कुशीनगर, प्रतापगढ़, महराजगंज, अमेठी, ललितपुर, वाराणसी, मेरठ, श्रावस्ती, बाँदा, शामली, मुजफ्फरनगर तथा हमीरपुर।

संख्याः 1/शा0/44/2018–1/164/2018 लखनऊः दिनांक 05 जुलाई, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 995.22 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–55/2018/1730/33–3–2018–100(12)/2015 दिनांक 29.06.2018 द्वारा अनुदान संख्या–14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–1000.00 लाख के सापेक्ष उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.06.2018 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8 व 16 में इंगित कुल धनराशि रू0 995.22 लाख(रूपया नौ करोड़ पन्चान्बे लाख बाइस हजार मात्र) धनराशि संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं–

1–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018–19 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0–3/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018 दिनांक 20.04.2018 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3–उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.06.2018 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 16 में इंगित धनराशि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। **पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त किये जाने एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।**

4–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–14 लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायती राज–08–बहुउददेशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायगा।

6–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7–प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।

8–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–13 पर निदेशालय को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

9–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

10–प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

11–बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण के निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उनकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

12–किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–134 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या:1/शा0/44/1/2018 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8– उप निदेशक(पं0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/07/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-44-2018-1-164-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-164-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
08 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
3	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
4	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
7	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
11	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
13	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
14	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
15	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
16	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
17	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
18	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
19	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
20	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
21	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
22	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
23	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
24	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
25	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
26	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
27	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
28	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
29	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
30	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
31	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
32	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
33	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
34	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
35	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
36	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
37	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
38	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
39	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
40	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
41	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
42	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
43	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
44	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
45	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
46	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
47	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
48	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
49	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
50	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
51	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
52	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
53	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	वर्तमान प्रगामी	99522000 99522000	99522000 99522000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ पंचानवे लाख बाइस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ पंचानवे लाख बाइस हजार

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1|शा0|44|2018

संख्या- 55/2018/1730/33-3-2018-100(12)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 अनुदान संख्या- 14 में आयोजनागत मद में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 995.22 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/631/2018-5/43/2017 दिनांक 21 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1000.000 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 995.22 लाख (रूपये नौ करोड पन्चानबे लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन, जनपदवार संलग्न चार्ट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

AAO
3.7.18

(3) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त की जाय एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायती राज-08-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के

http://shasnadesh.nic.in

नामे डाला जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित /स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित /स्वीकृत हो।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) बहुउदेदेशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0।

4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.nic.in

शासनादेश संख्या- 55/2018/1730/33-3-2018-100(12)/2015 दिनांक 29 जून, 2018 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में बहु उद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन

धनराशि

(धनराशि लाख

अनुदान संख्या-14

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत निर्मित है।	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत भवन निर्मित नहीं है।	कुल पंचायत भवन के सापेक्ष निर्मित कराये गये पंचायत भवनों का प्रतिशत	अनुदान संख्या-14 में प्रस्तावि पंचायत भवनों की संख्या ए प्रस्तावित धनराशि	
						लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	प्रति पंच भवन 17.46 की दर प्रस्तावि धनरा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामपुर	684	155	529	22.66	2	34.9
2	शाहजहाँपुर	1077	275	802	25.53	2	34.9
3	मुरादाबाद	588	167	421	28.40	2	34.9
4	बस्ती	1247	376	871	30.15	2	34.9
5	अमरोहा	601	186	415	30.95	1	17.4
6	संतकबीरनगर	794	264	530	33.25	1	17.4
7	बलरामपुर	801	271	530	33.83	1	17.4
8	पीलीभीत	721	247	474	34.26	1	17.4

http://shasnadeshup.nic.in

[illegible]	सम्भल	556	205	351	36.87	1	17.460	17.460
0	सिद्धार्थनगर	1199	451	748	37.61	1	17.460	17.460
1	बरेली	1193	458	735	38.39	1	17.460	17.460
2	मथुरा	547	213	334	38.94	1	17.460	17.460
3	देवरिया	1190	488	702	41.01	1	17.460	17.460
4	गाजीपुर	1237	515	722	41.63	1	17.460	17.460
5	गौतमबुद्धनगर	100	42	58	42.00	1	17.460	17.460
6	गोण्डा	1054	476	578	45.16	1	17.460	17.460
7	फैजाबाद	835	409	426	48.98	1	17.460	17.460
8	बदायूँ	1038	514	524	49.52	1	17.460	17.460
9	बुलन्दशहर	951	471	480	49.53	1	17.460	17.460
20	इलाहाबाद	1637	818	819	49.97	1	17.460	17.460
21	कन्नौज	504	252	252	50.00	1	17.460	17.460
22	बागपत	245	123	122	50.20	1	17.460	17.460
23	जौनपुर	1773	896	877	50.54	1	17.460	17.460
24	फिरोजाबाद	570	291	279	51.05	1	17.460	17.460
25	हापुड	273	142	131	52.01	1	17.460	17.460
26	बलिया	949	497	452	52.37	1	17.460	17.460
27	मऊ	684	367	317	53.65	1	17.460	17.460
28	चन्दौली	734	398	336	54.22	1	17.460	17.460

http://shasnadeshup.nic.in

29	सुलतानपुर	986	549	437	55.68	1	17.460	17.460
30	अलीगढ़	902	506	396	56.10	1	17.460	17.460
31	एटा	576	325	251	56.42	1	17.460	17.460
32	सं0र0नगर	561	318	243	56.68	1	17.460	17.460
33	कासगंज	423	243	180	57.45	1	17.460	17.460
34	गाजियाबाद	161	97	64	60.25	1	17.460	17.460
35	मैनपुरी	560	341	219	60.89	1	17.460	17.460
36	सोनभद्र	637	397	240	62.32	1	17.460	17.460
37	बहराइच	1054	658	396	62.43	1	17.460	17.460
38	फर्रूखाबाद	603	384	219	63.68	1	17.460	17.460
39	गोरखपुर	1354	867	487	64.03	1	17.460	17.460
40	आगरा	695	452	243	65.04	1	17.460	17.460
41	बिजनौर	1128	734	394	65.07	1	17.460	17.460
42	कुशीनगर	1121	745	376	66.46	1	17.460	17.460
43	प्रतापगढ़	1255	849	406	67.65	1	17.460	17.460
44	महराजगंज	929	629	300	67.71	1	17.460	17.460
45	अमेठी	682	471	211	69.06	1	17.460	17.460
46	ललितपुर	416	290	126	69.71	1	17.460	17.460
47	वाराणसी	760	544	216	71.58	1	17.460	17.460
48	मेरठ	482	351	131	72.82	1	17.460	17.460

http://shasnadeshup.nic.in

49	श्रावस्ती	400	310	90	77.50	1	17.460	17.460
50	बांदा	471	392	79	83.23	1	17.460	17.460
51	शामली	230	194	36	84.35	1	17.460	17.460
52	मुजफ्फरनगर	498	431	67	86.55	1	17.460	17.460
53	हमीरपुर	339	307	32	90.56	1	17.460	17.460
	महायोग	**41005**	**21351**	**19654**	**52.07**	**57**	**995.22**	**995.22**

ट : 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति/जनजाति के बाहुल्य जनसंख्या वाले 22 जनपदों को छोड़कर शेष 53 जनपदों को एक–एक ायत भवन एवं शेष 04 पंचायत भवन जिन जनपदों में कम पंचायत भवन निर्मित है, उनको आवंटन किया गया है।

रू0 995.22 लाख (रूपये नौ करोड पन्चानबे लाख बाइस हजार मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in